"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 91] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 मार्च 2017—— फाल्गुन 30, शक 1938

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–12/2017/वाक(आब)/पांच (23). —— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 18क तथा धारा 62 की उप धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.),(छ) और (ज) तथा उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करता है अर्थात् :–

संशोधन

1. उक्त नियमों –

नियम 8 (घ) के स्थान पर निम्नलिखित नियम 8 (घ) प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्
नियम 8 (घ) दिनांक 01–04–2017 से देशी/विदेशी मदिरा के लिए वेयर हाउस से मदिरा प्रदाय पर ड्यूटी की दरें नीचे सारणी में दर्शाये अनुसार होगी :–

क्र.	मदिरा का प्रकार	वर्ष 2017–18 के लिये निर्धारित ड्यूटी दर
1.	**देशी मदिरा :–** मसाला – 25.0 UP प्लेन – 50.0 UP रासी – 60.0 UP	रूपये 285/– प्रति प्रूफ लीटर
2.	**विदेशी मदिरा (स्प्रिट)** :– विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की ड्यूटी दर की गणना वर्ष 2017–18 में विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर (काउंटरवेलिंग ड्यूटी को छोड़कर) प्रति पेटी निम्नानुसार होगी :–	
	1. रूपये 800/– तक	रूपये 300/– प्रति प्रूफ लीटर

	2. रूपये 801/— से 1100/— तक	रूपये 430/— प्रति प्रूफ लीटर
	3. रूपये 1101/— से 1500/— तक	रूपये 500/— प्रति प्रूफ लीटर
	4. रूपये 1501/— से 2000/— तक	रूपये 610/— प्रति प्रूफ लीटर
	5. रूपये 2001/— से 3000/— तक	रूपये 720/— प्रति प्रूफ लीटर
	6. रूपये 3001/— से 4000/— तक	रूपये 790/— प्रति प्रूफ लीटर
	7. रूपये 4001/— से 6000/— तक	रूपये 830/— प्रति प्रूफ लीटर
	8. रूपये 6001/— से 8000/— तक	रूपये 850/— प्रति प्रूफ लीटर
	9. रूपये 8001/— से 10,000/— तक	रूपये 880/— प्रति प्रूफ लीटर
	10. रूपये 10,001/— और उससे अधिक	रूपये 900/— प्रति प्रूफ लीटर
3.	बीयर (माल्ट) मदिरा	भण्डागार प्रदाय दर (काउंटरवेलिंग ड्यूटी को छोड़कर) पर 100 प्रतिशत की दर से परन्तु न्यूनतम ड्यूटी दर रूपये 75/— प्रति बल्क लीटर से कम नहीं होगी।
4.	सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों/उनकी संस्थाओं/क्लबों के लिए :—	
	(क) विदेशी मदिरा (स्प्रिट)	रूपये 30/— प्रति प्रूफ लीटर
	(ख) बीयर (माल्ट) मदिरा	रूपये 8/— प्रति बल्क लीटर

2. उक्त संशोधन दिनांक 01—04—2017 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.